

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन: 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

सं० : 93 -विनियम एवं औस/पाकालि/10-5-रेगु/88

दिनांक 09.08.10

शुद्धि-पत्र

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं० 88 -विनियम एवं औस/पाकालि/10-5-रेगु/88 दिनांक 05.08.2010 के स्तम्भ-2 : विनियम 5(3) : भर्ती का स्रोत में इंगित प्राविधानों की आठवीं पंक्ति में " Top five merit position holders" के बाद एवं "applying" के पहले एतद्वारा " in chronological order " रखा जाता है।

2. यह आदेश उक्त कार्यालय ज्ञाप सं० 88 -विनियम एवं औस/पाकालि/10-5-रेगु/88 दिनांक 05.08.2010 के निर्मगन की तिथि से प्रभावी होंगे तथा उसके अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे।

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या :- 93 (1) विनियम एवं औस/पाकालि/10 तददिनांक :

प्रतिलिपि : कृपया निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- (2) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
- (3) अपर प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
- (4) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा० ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०/उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० /उ०प्र० राज्य जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
- (5) समस्त निदेशक गण, उ०प्र०पा०का०लि० के निजी सचिव।
- (6) प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/ केस्को, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर।
- (7) अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (8) अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/अरा०/काविनी/महाप्रबन्धक (औस०), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- (9) समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), उ०प्र०पा०का०लि०।
- (10) कम्पनी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ को उनके पत्रांक 692-पाकालि/बैठक (84)/2010 दिनांक 28.07.2010 के सन्दर्भ में।
- (11) अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट) को कारपोरेशन की वेबसाइट पर लोड किये जाने हेतु।
- (12) पत्रावली सं०-11-विनियम/88


(जावेद अहमद)
अनुसचिव (विनियम)